पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

PGCIL/R/T/22/00028

दिनांक: 30 March, 2022

SHRI RAJ KUMNAR DIXIT
57 A DHARM LOK NAGAR MAHOLI ROAD MATHURA, Uttar Pradesh-281004

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 25 March, 2022 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-I मे संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

30/03/22

(ए. जगन्नाथ राव)
वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

अनुलग्नक-I

Sub: Reply to RTI Request of Shri Raj Kumar Dixit, Mathura, Uttar Pradesh

Information sought:	Reply:
1. WHETHER IT IS NECESSARY, WHEN ANY PSU/ STATE GOVERNMENT/PRIVATE COMPANY, RECRUIT HIS FIRST EMPLOYEE, THAN THE HR POLICY OF EMPLOYEE WELFARE IS TO BE FORMED BEFORE JOINING OR NOT . IF NO THAN PLEASE GIVE REASON WHY. 2. IF AN EMPLOYEE JOIN ANY COMPANY IN 2019 AND HR POLICY IS FORMED IN 2020. THAN THE POLICY FORMED AFTER JOINING IS APPLICABLE TO EMPLOYEE OR NOT. 3. IF ANY COMAPNY JOIN THEIR EMPLOYEE AND SAID IN TERM AND CONDITIONS THAT YOU WILL BE PLACED IN APPLICABLE PAY SCALE AS PER PREVAILING POLICY. THAN WHAT IS THE MEAN OF PREVAILING POLICY.	The views/reasoning/advice/opinion of Public Authority does not qualify the definition of information under section 2 (f) of the RTI Act, 2005, therefore, reply is beyond the purview of the RTI Act.

*****

हीरकुमार